Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 2, October-2020, ISSN 2230-7540

भारतीय खेल प्रबंधन में केन्द्र सरकार का योगदान

Dr. Sanjeev Kumar Gupta*

Assistant Professor, Department of Physical Education, Government P.G. College Charkhari, Mahoba Uttar Pradesh

सार *– अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन परिषद के द्वारा अनुच्छेद-1 में यह घोषणा की गई है कि खेलकूद को समस्त बच्चों को मौलिक अधिकार के रुप में प्रदान किया जावे। इसी अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1978 के दौरान अनुच्छेद-4 के द्वारा अपनी घोषणा में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबन्धन की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे करने हेतु अनुमोदन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्मित शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक संगठन की संधी के अनुरुप भारत गणराज्य ने संधि पर सहमति दी है कि भारत गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परिषद के अंतराष्ट्रीय घोषणा का पालन करेगा।*

---------------------------------x---------------------------------

प्रस्तावना

भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर भारत के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं कार्यो की समीक्षा हेतु, अनेको संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, उक्त समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, प्रतिनिधि होते है भारत गणराज्य के द्वारा गठित उक्त समितियां भिन्न मंत्रालयों के कार्यों एवं केन्द्रों पर जाकर मंत्रालय के द्वारा सम्पन्न कार्यों की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करती हैं उक्त प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों के अच्छे कार्यो को प्रोत्साहित किया जाता है एवं मंत्रालयों के निरन्तर सुधार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जाती है।

इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद की संसदीय समिति का भी गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के खेलकूद के कार्यक्रमों हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त खेद व क्षोभ प्रकट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये । भारत में प्रचलित खेल प्रबधन के ऊपर भी समिति ने गहरा असंतोष प्रकट किया जो कि निम्नानुसार है -

अपने प्रतिवेदन के पद क्रमांक (एच) समन्वयन एवं जिम्मेदारी की कमी में समिति ने यह आंकलन किया है कि वर्तमान भारतीय खेल प्रबधन में केन्द्र सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, विभिन्न खेल संगठन एवं राज्य सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ अहम भूमिका निभा रही है। परन्तु सभी में भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि भारत गणराज्य में खेलों के उत्थान एवं उन्नति के हेतु सर्वोच्च स्थान है, की गतिविधियाँ बहुत ही असंतोषजनक है।

समिति के द्वारा अपनी समीक्षा के दौरान उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबधन हेतु मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसके 6 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे है। उक्त सर्वोच्च खेल संस्थान के सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक तथा सचिव के रुप में नियुक्त किया जाता है एवं अन्य कार्यो हेतु र्यकारी निदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों में से की जाती है, परन्तु समिति के द्वारा यह पाया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के शीर्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से किसी के पास खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा का आधार वह शैक्षणिक योग्यता नही है जिसके कारण कि उनके द्वारा भारतीय खेल हेतु निर्मित विभिन्न परियोजनायें बिना किसी परिणाम के निरर्थक ही समाप्त हो जाती है। अतः संसदीय समिति ने भी अपने अनुमोदन में भारतीय संसद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत की है कि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त शीर्षस्थ पदो पर अच्छे खेलों के आधार पर सम्पन्न

खिलाडियों की नियुक्ति करें जो कि खेलकूद में रुचि लेकर राष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चल रहे केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छी परियोजनायें तैयार कर सकें।

इस संबध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायालयीन आदेश में भी यह निर्णित किया गया है कि हाल में आयोजित कुछ ओलपिंक खेलों में छोटे-छोटे राष्ट्रों का खेल प्रदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा जब कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहॉ कि आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर है का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कट शब्दों में आलोचना करते हुए निर्णित किया है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों की देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी हुई है जिनको कि खेलकूद में शून्य के बराबर आता है और वे खेल के उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करे अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक है।

परन्तु आज तक भी भारतीय खेलों की स्थिति में उत्थान हेतु विभिन्न खेल संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में शायद ही किसी के पास शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद में विशिष्टता अथवा योग्यता हो। ऐसी स्थिति में शोधार्थी वर्तमान शोध उपाधि हेतु भारतीय खेल प्रबंधन के शीर्षस्थ पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के संबंध में एक अध्ययन कर उनके पद तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संबधी शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उनकी भागीदारी (प्रतिनिधित्व) की जानकारी एकत्र कर उसके संबध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा तथा उक्त अध्ययन के दौरान विभिन्न वर्गों के द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुरुप भारत के खेलों के लिए आवश्यक प्रबंध का प्रारुप कैसा हो, पर शोध करेगा।

अध्ययन के उदेश्श्य

1. वर्तमान में अनुसंधान का उददेश्य भारत की वर्तमान खेल प्रबधन में कार्यरत अधिकारियों की खेल एवं शारीरिक शिक्षा संबधित शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करना है।

2. खेल प्रबंधन हेतु नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की वांछनीय एवं व्यवासायिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता के ऊपर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है।

सीमायें

वर्तमान अध्ययन में शोध छात्र ने भारत सरकार के युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय तथा उसके द्वारा संचालित व पोषित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर में उच्च पदों पर आसीन प्रवन्धकों एवं नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों के द्वारा व्यवासयिक शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में अध्ययन किया।

कुछ गूढ एवं जटिल शब्दावलियों की परिभाषा एवं व्याख्या खेल प्रंबधन

भारत में केन्द्र शासन के अधीन युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय तथा लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) में खेलों सम्बन्धी तथा अन्य परियोजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी जो खेलों की नीति निर्धारण, भारत सरकार के द्वारा खेलों हेतु दिये गये वित्तीय अनुदान के सम्बन्ध में निर्णय लेना तथा खेल अथवा शारीरिक शिक्षा के कार्यान्वयन से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं।

युवा कार्यकम एवं खेल मंत्रालय

भारत सरकार के कार्यों के निष्पादन हेतु गठित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो कि खेलकूद, युवा कार्यक्रम, यूथ हास्टल, नेहरु युवा केन्द्र तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में नीतिगत निर्णय लेने एवं कार्यपालन हेतु गठित किया गया है। उक्त मंत्रालय में खेलकूद शारीरिक शिक्षा आदि कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मिकों की व्यवासियक शैक्षणिक योग्यता उक्त कार्य करने हेतु अन्तराष्ट्रीय खेल संस्थानों एवं कार्यालयों के अनुरुप है या नहीं इस बात का विषलेषण इस शोध पत्र में किया गया है। इस विषय में यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि किस प्रकार प्राद्यौगिकी, चिकित्सा, कृषि एवं विधि मंत्रालयों में कार्यरत

अधिकारीगण अथवा कार्मिक उस कार्य से सम्बन्धित व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखते हुये अपने व्यवासियक कार्यो को बुलन्दी पर पहुंचा रहे है। अतः भारतीय खेल मंत्रालय अथवा खेल प्रबन्धन से सम्बन्धित संस्थानों में ऐसे कितने व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अधिकारी व कार्मिक वर्तमान में कार्यरत होकर भारत में खेल एवं शारीरिक शिक्षा के कार्यो में संलिप्त है।

लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान

भारतीय सरकार के द्वारा गठित एक स्वंयशासी संगठन लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) जो कि 1962 में केन्द्र सरकार के द्वारा गठित कर 1987 में राष्ट्रीय खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा समिति (स्नाईप्स) के साथ समन्वय कर भारत में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में उच्च स्तर के शारीरिक शिक्षकों को शिक्षित करने एवं उत्थान हेतु गठित की गई थी। 1995 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा इस संस्थान को सम विश्वविद्यालय के रुप में मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा में उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु मान्य किया गया था।

खेल प्रबंधक हेतु आवश्यक व्यवसायिक योग्यता

अन्य व्यवासायिक शैक्षणिक विषयों की तरह जैसे कि प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (बी.एस.सी. इंजी.) व (एम.एस.सी. इंजानियरिंग) चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एम0एस0 व एम0डी0 तथाः कृषि विज्ञान या अन्य में व्यवासायिक उपाधियों की तरह ष्विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा अथवा खेल विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक (बी.पी.ई.) के साथ-साथ स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.ई.) उपाधि प्राप्त व्यक्ति को प्रबंधन में व्यवासायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति माना जाता है।

शोध अध्ययन का महत्व

वर्तमान शोध अध्ययन भारत सरकार के द्वारा युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय की समीक्षा हेतु गठित समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान खेल प्रबधन के ऊपर व्यक्त असंतोष के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में खेलों के प्रबधन, नीति निर्धारण, कार्यान्वयन आदि में कार्य कर रहें प्रबंधको की प्रबंधक के रुप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देष का काम करेगा।

यह शोध अध्ययन भारतीय खेलों के परिणाम के विषय में चिन्तन करने वाले नागरिकों, सांसदों, खेल प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं उन छात्रों के लिए चिंतन का आधार बनेगा और ज्ञान कोष को समृद्ध करेगा जो कि खेल के स्तर को उन्नत करके राष्ट्र को गौरवान्वित करने की इच्छा रखते हैं। यह शोध विषय, केन्द्र सरकार तथा भारतीय संविधान के साथ-साथ विभिन्न खेल संघों, राज्यों एवं अन्य संकायों में खेलों के स्तर को उन्नत करने हेतु योग्य व्यवसायिक व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने हेतु मार्गदर्षक बनेगा।

खेलकूद में समस्त बच्चों के मौलिक अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन परिषद (इचफर) के द्वारा अनुच्छेद-1 में यह घोषणा की गई है कि खेलकूद को समस्त बच्चों को मौलिक अधिकार के रुप में प्रदान किया जावे। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1978 के दौरान अनुच्छेद-4 के द्वारा अपनी घोषणा में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबन्धन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे करने हेतु अनुमोदन किया है।

भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति के द्वारा वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा पश्चात अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त क्षोभ व खेद प्रकट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये जिनमें से भारत में प्रचलित खेल प्रबंधन के ऊपर समिति ने गहरा असंतोष प्रकट किया जो कि निम्नानुसार है

समिति के द्वारा अपनी समीक्षा के दौरान उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंधन में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित ही कर, 6 क्षेत्रीय केन्द्र के रुप में कार्य कर रहे है, उक्त सर्वोच्च खेल संस्थान के सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों में से किया जाता है, परन्तु समिति के द्वारा जॉच के दौरान यह पाया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के शीर्षस्थ पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से किसी के पास खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा का आधार ही नही है जिसके कारण कि भारतीय खेल हेतु निर्मित विभिन्न परियोजनायें बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाती हैं।

अतः संसदीय समिति ने भी अपने अनुमोदन में भारतीय संसद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत की कि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त शीर्षस्थ पदों पर शारीरिक शिक्षा व अच्छे खेलों के आधार वाले व्यवसायिक व्यक्तियों की नियुक्ति करें जो कि खेलकूद में रूचि लेकर राष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चल रहे केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छी परियोजनायें तैयार कर सकें।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय फेन्सिंग संघ बनाम श्री विद्याचरण शुक्ल व अन्य प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित न्यायालयीन आदेश में यह निर्णित किया गया था कि हाल ही में आयोजित कुछ ओलपिंक खेलों में छोटे-छोटे राष्ट्रों का खेल प्रदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा जबकि भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहाँ की आबादी विश्व मे दूसरे नंबर पर है, का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कटु शब्दों में यह आलोचना की थी कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों के देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी गई है जिनको कि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में शून्य के बराबर योग्यता है और वे खेल उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करें अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक ही रहेगें।

उपसंहार

भारतीय खेल प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जो कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा स्थापित एवं पोषित शारीरिक शिक्षा संस्थान, ष्लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियरष् में नीति निर्धारण करने के पदों पर आसीन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में इस शोध ग्रंथ में किया गया। जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि भारतीय खेल के उत्थान एवं उन्नति तथा शारीरिक शिक्षा के एक मात्र विश्वविद्यालय जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित एवं पोषित है में प्रबन्धकीय पदों पर आसीन पदाधिकारी अपनी योग्यता के अनुरुप नीति निर्धारण कर पाने में सक्षम है या नहीं। शोध छात्र के द्वारा उक्त संस्थानों के उच्च पदाधिकारियों से उनकी शैक्षणिक एवं विशेष शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान कराने हेतु अनेकों बार निवेदन करने के पश्चात भी पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी शोध विद्यार्थी को प्रदान नहीं की गई। अतः शोध विद्यार्थी ने अपने स्रोतों तथा इण्टरनेट पर उपलब्ध जानकारीके आधार पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (सम विश्वविद्यालय) ग्वालियर के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की शैक्षणिक एवं विशेष व्यवसायिक योग्यता की जानकारी प्राप्त कर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संक्षेपिका निम्न प्रकार उल्लेखित किया गया है। भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय में सचिव, सह सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विविध सेवा से चुने गये पदाधिकारी कार्यरत है। परन्तु उक्त पदाधिकारी किसी भी प्रकार खेल व्यवसायिक योग्यता को नहीं रखते है परन्तु उक्त समस्त अधिकारी भारत सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा खेल एवं युवा कार्यक्रम के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक सभा वाद-विवाद गुरुवार 17 श्रावण, 1924 (शक) 08.08.2002 पृष्ठ क्रमांक रू 290

2. लोकसभा वाद-विवाद, 28 अग्रहायण 1924 (शक) 19.12.2002 पृष्ठक्र0318 पृष्ठ क्रमांक 5001 नियम 337 के अधीन मामले द्वारा श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) 13.05.02

3. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री राजैया मल्याला (सिट्रीपेट) 19.03.02 पृष्ठ क्रमांक 445. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर हि0प्र0) 03.12.03 पृष्ठ क्रमांक 500..

4. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य- प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई 02.05.03 (एल0टी0 7624/2003) पृष्ठ क्रमांक 345

5. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री डी0 वेणूगोपाल (पिरुपत्तूर) 29.04.03 पृष्ठ क्रमांक 265.

6. सामान्य बजट 2003-04 सामान्य चर्चा द्वारा श्री जोवाकिम बखला (अलीपुर द्वारस) 10.03.03 पृष्ठ क्रमांक 555.

7. पूर्वान्ह 1-14 बजे निधन व बधाई सम्बन्धी उल्लेख द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) 27.02.03 पृष्ठ क्रमांक 06

8. नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री अब्दुल्लाकुद्दी (कन्नौर) 08.12.04

Corresponding Author

Dr. Sanjeev Kumar Gupta*

Assistant Professor, Department of Physical Education, Government P.G. College Charkhari, Mahoba Uttar Pradesh